

मध्यप्रदेश शासन,
संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-01-37/2013/तीस

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2017

प्रति,

आयुक्त,
संस्कृति संचालनालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र के लिए संगीत/ललित कला महाविद्यालय में अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था।

.... 0

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/संगतकार/निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/वाद्ययंत्र (हारमोनियम आदि) सहायक/स्टूडियो सहायक/ग्रंथपाल पद के लिए अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों के आमंत्रण हेतु मानदेय, मापदण्ड एवं अध्यापन संबंधी व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. सामान्य :

- 1.1 इन नियमों/मापदण्डों के संदर्भ में 'अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक' से तात्पर्य प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/निर्देशक/संगतकार/वाद्ययंत्र (हारमोनियम आदि) सहायक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहायक/ ग्रंथपाल आदि शैक्षणिक पदों से है।
- 1.2 महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था शिक्षण संबंधी पदों के लिए ही की जाएगी।
- 1.3 अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था यथासंभव शैक्षणिक सत्र में वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी।

A.J.(S)/का-9
19/09/17

2794
दिनांक 20/09/2017
संस्कृति संचालनालय (म. प्र.)

2. चयन :

- 2.1.1 महाविद्यालयवार शैक्षणिक संवर्ग के अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को उस शैक्षणिक सत्र के लिए संचालनालय स्तर से आमंत्रित किया जाएगा।
- 2.1.2 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक का आमंत्रण अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा एक शिक्षण सत्र में अधिकतम 11 महीने का कार्य किया जा सकेगा तथा उसी हिसाब से उन्हें मानदेय भी प्राप्त होगा।
- 2.1.3 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा किए गए कार्य को भविष्य में अनुभव का लाभ दिये जाने के लिए 11 माह को एक शिक्षण सत्र माना जाएगा।
- 2.1.4 आवेदकों को अपने समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय कराना अनिवार्य होगा।
- 2.1.5 आवेदनकर्ता केवल किसी एक शैक्षणिक संस्था हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक एक से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है तो ही वह उन विषयों में अपना आवेदन पृथक-पृथक उसी संस्था के लिए ही प्रस्तुत कर सकेगा।
- 2.1.6 एक आवेदन में एक से अधिक महाविद्यालय/स्थान/विषय के लिए विकल्प का उल्लेख होने पर पूर्ण आवेदन ही निरस्त माना जावेगा।
- 2.1.7 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2.2 चयन की प्रक्रिया :

- 2.2.1 इन मार्गदर्शी मापदण्डों का संक्षिप्तिकरण करते हुए शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों के लिए अतिथि विद्वानों की आवश्यकता अनुरूप, संस्कृति संचालनालय द्वारा विषयवार एवं महाविद्यालयवार आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं संचालनालय की वेब-साईट पर विज्ञापन जारी किया जावेगा।
- 2.2.2 अंतिम मेरिट सूची चयन हेतु मापदण्डों के आधार पर, प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त, गठित चयन समिति द्वारा, अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनायी जायेगी।

- 3.2 यदि स्नातकोत्तर उपाधि में विषय में विशेषज्ञता किसी एक विषय की हो तो उसे उसी विषय के लिए मान्य किया जाएगा (हरमोनियम को छोड़कर)। उदाहरणार्थ:- संगीत में "वादन" को "गायन" की अर्हता नहीं मानी जायेगी।
- 3.3 पी.एच.डी/एम.फिल की उपाधि संबंधित विषय में होने पर ही मान्य होगी।
- 3.4 कार्यानुभव हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्व वर्षों के आमंत्रण पत्रों को, जिस आधार पर उन्होंने वास्तविक शिक्षण/कार्य किया हो, प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया है केवल उसी अनुभव को अधिभार की गणना हेतु विचार में लिया जाएगा।
- 3.5 अतिथि विद्वान/ग्रंथपाल के पद हेतु पूर्व कार्यानुभव के आधार पर यह अधिभार प्रत्येक कार्य वर्ष के लिए 10 अंक (अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के लिए 100 अंक तक) होगा।
- 3.6 शासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में जिन अभ्यर्थियों ने स्ववित्तीय योजना के तहत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार अनुभव के आधार पर अधिभार अंकों का लाभ दिया जावेगा।
- 3.7 समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार विकलांग अभ्यर्थियों को भी प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
- 3.8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) (ललित कला के लिए चाक्षुष तौर से विकलांग को छोड़कर) अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

न्यूनतम अहर्ताएँ :

शासकीय संगीत महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :-		
क्र	पद/संवर्ग	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	व्याख्याता/सहायक व्याख्याता	<p><u>शैक्षणिक योग्यता</u></p> <p>एम.ए. (म्यूजिक) (संबंधित विषय में) –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण/एम. म्यूज संबंधित विषय में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>अथवा</u></p> <p>स्नातक/बी. म्यूज – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से तथा (संबंधित विषय में) संगीत कला रत्न/संगीत भास्कर/संगीत प्रवीण/संगीत अलंकार/कोविद न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>कार्यानुभव</u></p> <p>न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन कार्य (संबंधित विषय का) अनुभव।</p>
2	संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक	<p>प्रभाकर/विशारद/विद (संबंधित विषय में) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।</p>
शासकीय ललित कला महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :-		
1	प्राध्यापक/व्याख्याता	<u>शैक्षणिक योग्यता</u>

	/सहायक व्याख्याता	<p>मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>अथवा</u></p> <p>नेशनल डिप्लोमा इन फाईन आर्ट्स (पांच वर्षीय) (संबंधित विषय में) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p><u>कार्यानुभव</u></p> <p>न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन कार्य (संबंधित विषय का) अनुभव।</p>
2	निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहायक	<p>बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।</p>
संगीत/ललित कला महाविद्यालय के लिए :-		
1	ग्रंथपाल	<p>बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।</p>

5. अन्य शर्तें :

- 5.1 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि-विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक-सेवक" नहीं माने जाएंगे।
- 5.2 विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों से आमंत्रण-पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन संस्कृति संचालनालय द्वारा किये जाएंगे।
- 5.3 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- 5.4 अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
- 5.5 मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव संबंधित प्राचार्य से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद संस्कृति संचालनालय द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। उक्त अनुदान लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध होगा। नियम में निर्धारित मानदेय ही प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगा।
- 5.6 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक की चयन प्रक्रिया पूर्णतः वैकल्पिक, अस्थायी एवं तदर्थ व्यवस्था है। इसमें चयन को भविष्य में नियमितीकरण का आधार मान्य नहीं किया जायेगा। वे न्यायालय में जाकर निरन्तर सेवा का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।
- 5.7 प्राचार्यों के निर्देश अंतर्गत अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक से शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार गैरशैक्षणिक कार्य भी कराया जा सकता है।
- 5.8 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को किसी भी प्रकार के अवकाश (प्रत्येक रविवार छोड़कर) की पात्रता नहीं होगी।

- 5.9 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा आवश्यकतानुरूप प्रतिदिन अधिकतम 05 कालखण्ड ही लिए जा सकेंगे।
- 5.10 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा।
- 5.11 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.12 किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा।

6. मानदेय :

- 6.1 संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में प्राध्यापक/व्याख्याता/सहा. व्याख्याता पदों के विरुद्ध एवं अध्यापन की आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय रु. 275/- प्रति काल खण्ड (अधिकतम रु. 825/- प्रति कार्य दिवस) (वास्तविक शिक्षणकाल के लिए) निर्धारित किया जाता है।

7. शैक्षणिक सहायकों के पदों की पूर्ति :

- 7.1 निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक (ललित कला), ग्रन्थपाल (संगीत/ललित कला), संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक (संगीत शिक्षा) तथा स्टूडियो सहायक (ललित कला) आदि पदों की पूर्ति आउटसोर्स के माध्यम से की जा सकेगी।
- 7.2 संबंधित महाविद्यालय, उक्त पदों की पूर्ति हेतु संस्कृति संचालनालय से प्रतिवर्ष यथा- विधि पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।
- 7.3 संबंधित महाविद्यालय, उनके द्वारा नियमानुसार अनुबंधित की गई सेवा-प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से, इन नियमों के बिन्दु क्रमांक-4 में संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनुरूप, निर्धारित कलेक्टर दर पर, वास्तविक शिक्षणकाल के लिए सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे।
- 7.3 उक्त पदों पर सेवा-प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक सहायकों की योग्यता, कार्यानुभव, अध्यापन/तकनीकी सहयोग

- क्षमता तथा संतोषप्रद सेवाओं के निर्धारण का दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।
8. उक्त नियमों में समय-समय पर, आवश्यकतानुसार संशोधन संस्कृति विभाग द्वारा किये जा सकेंगे।
 9. उक्त नियम वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति यू. ओ. क्रमांक 271आर-15/बी-2, दिनांक 19.01.2017 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पदमरेखा ढोले)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ-01-37/2013/तीस
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक सितम्बर 2017

1. विशेष सहायक, मान. संस्कृति मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्दौर, ग्वालियर, धार, मंदसौर, उज्जैन, नरसिंहगढ़, मैहर, खण्डवा, जबलपुर।
6. प्राचार्यमहाविद्यालय(म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
भोपाल

क्रमांक एफ-01-37/2013/तीस

भोपाल, दिनांक 03 जून, 2024

प्रति,

संचालक,
संस्कृति संचालनालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : शैक्षणिक सत्र के लिए संगीत/ललित कला महाविद्यालय में अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था- नियमों में संशोधन बावत्।

-0-

राज्य शासन, एतद् द्वारा समसंख्यक ज्ञाप. दिनांक 19.09.17 द्वारा विषयांकित व्यवस्था के संबंध में मूल नियम/मापदण्ड जारी किये गये थे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ संचालित संगीत तथा ललित-कला महाविद्यालयों में सुचारु शिक्षण व्यवस्था की दृष्टि से, उक्त मूल नियमों की कण्डिका क्र. 8 के प्रावधान अनुसार, इन नियमों में निम्नानुसार संशोधन/प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाते हैं :-

क्र.	नियम की कण्डिका क्रमांक	संशोधित/प्रतिस्थापित प्रावधान
1	1.2	महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था, शिक्षण कार्यों हेतु आवश्यक पदों के लिये ही की जावेगी।
2	2.2.2	आवेदकों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यताओं/कार्य अनुभव/अन्य अधिभार के आधार पर प्राप्त अंकों एवं प्रायोगिक साक्षात्कार के अंकों के समग्र मूल्यांकन के आधारपर किया जायेगा। आवेदकों को साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु यात्रा/आवास अथवा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
3	3.1(अ)	अतिथि विद्वान/ग्रंथपाल पदों के लिए :-
4	3.4	कार्यानुभव हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्व वर्षों के अनुभव प्रमाण पत्रों को, जिस आधार पर उन्होंने वास्तविक शिक्षण/कार्य किया हो, प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय विद्यालयों / शासकीय महाविद्यालयों/ शासकीय संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया है, केवल उसी अनुभव को अधिभार की गणना हेतु विचार में लिया जाएगा।
5	3.5	अतिथि विद्वान/ग्रंथपाल के पद हेतु कण्डिका क्र. 3.4 अनुसार पूर्व कार्यानुभव के आधार पर यह अधिभार प्रत्येक कार्यानुभव वर्ष के लिए 4 अंक (अधिकतम 5 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक) होगा।

निरन्तर 02

6	4	शासकीय संगीत महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु:-	
		क्र.	पद/संवर्ग
		न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	
		1	अतिथि विद्वान (व्याख्याता/सहायक व्याख्याता)
			शैक्षणिक योग्यता : "राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर अथवा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से संबंधित विषय में एम.म्यूज./एम.पी.ए./एम.ए. अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। एवं कार्यानुभव : "किसी भी शासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 2 वर्षों का शैक्षणिक कार्य अनुभव।"
		2	संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक
			"किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से हायर सेकेण्डरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण एवं संबंधित विषय में विद/संगीत कला विद/कला विद/ डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट/संगीत प्रभाकर/संगीत विशारद अथवा समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण।"
		शासकीय ललित कला महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :-	
		क्र.	पद/संवर्ग
		न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	
		1	अतिथि विद्वान (व्याख्याता/सहायक व्याख्याता)
			शैक्षणिक योग्यता : "मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। एवं कार्यानुभव : "किसी भी शासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 2 वर्षों का शैक्षणिक कार्य अनुभव।"
		2	निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहा.
			बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।
		शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालय के लिए :	
		क्र.	पद/संवर्ग
		न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	
		1	ग्रंथपाल
			बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।

7	5.11	संस्था में अतिथि विद्वान की सेवार्य एवं व्यवहार असंतोषप्रद पाये जाने पर, संस्था प्राचार्य की अनुशंसा के आधार पर उसकी सेवार्य तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
8	5.12	किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
9	6	मानदेय : संगीत /ललित कला महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों के विरुद्ध एवं अध्यापन की आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय रू. 275/- प्रति काल खण्ड (प्रतिदिवस वास्तविक अध्यापन काल खण्ड अनुसार) अधिकतम रू. 1375/- प्रति कार्य दिवस (वास्तविक शिक्षण काल के लिए) निर्धारित किया जाता है।
10	7.3	कण्डिका क्रमांक में संशोधन : 7.4 प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त संशोधित नियम/प्रतिस्थापित प्रावधान अनुसार शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माने जावेंगे।

(सुनील दुबे
उप सचिव



मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति
विभाग

पृ. क्रमांक एफ-01-37/2013/तीस

भोपाल, दिनांक 03 जून, 2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. संस्कृति मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्दौर, ग्वालियर, धार, मंदसौर, उज्जैन, नरसिंहगढ़, मैहर, खण्डवा, जबलपुर।
 4. प्राचार्य महाविद्यालय,(म.प्र.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

